

विन्दु संख्या	विन्दु/मैनुअल का विवरण	नगर पंचायत की सूचना/विवरण		
4	प्रभाग/प्राधिकरण के क्रिया कलापों को सम्पादित करने हेतु निर्धारित प्राविधान	पेयजल व्यवस्था :		
		1	नगर में पेयजल व्यवस्था हेतु दो ट्यूबवेल एक ओवरहेड टैंक 650किली0 क्षमता का स्थापित है।	1. ट्यूबवेल खराब होने की सूचना प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर ठीक कराये जाने की व्यवस्था है।
		2	निकाय में मार्च 2007 तक 70 हैण्डपम्प तथा 25 स्टेण्ड पोस्ट लगे हुये है।	2. हैण्ड पम्प सामान्य खराबी होने की सूचना प्राप्त होने के 2-3दिन के अन्दर ठीक कराने की व्यवस्था है।
		3	निकाय में अगस्त 07 तक 473 घरेलू जल सम्बन्ध है।	3. जल सम्बन्ध प्राप्त करने के प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के बाद समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुये एक सप्ताह के अन्दर जल सम्बन्ध करा दिया जाता है।
		4	नगर पंचायत के नलकूपों में इलेक्ट्रानिक डोजर लगे हुये है। जिनसे लिविड क्लोरीन नियमित मिलाई जाती है।	4 जलापूर्ति रोस्टर के अतिरिक्त बिजली मिलने पर समय समय पर आवश्यकतानुसार की जाती है।
		5	जलापूर्ति प्रातः 5:30 ए0एम0से 7:00ए0एम0 तक, दोपहर 12:00 से 1:00 पी0एम0 तक तथा शाम को 5:00 से 6:00 पी0एम0 तक बिजली उपलब्ध होने पर होती है।	
		मार्ग प्रकाश व्यवस्था		
			नगर पंचायत के अन्तर्गत 164 विद्युत पोल तथा 11 बिरेकित पर बल्व राड/सोडियम/मरकरी/हाईमार्कस लाइट आदि विद्युत उपकरण लगाये जाते है। जिनका कक्षवार विवरण निम्न प्रकार है।	1. निरीक्षण /सूचना प्राप्त होने के दो तीन के अन्दर बल्व आदि बदलने की व्यवस्था है।
		1	कक्ष सं0-1 में 17 विद्युत पोल	2. शासन द्वारा निर्धारित रोस्टर के अनुसार विद्युत लाइन मैन द्वारा विद्युत स्तम्भों के स्वीच आन/आफ किये जाते है।
			कक्ष सं0-2 में 10 विद्युत पोल	
			कक्ष सं0-3 में 13 विद्युत पोल	
			कक्ष सं0-4 में 15 विद्युत पोल	
	कक्ष सं0-5 में 08 विद्युत पोल			
	कक्ष सं0-6 में 19 विद्युत पोल			
	कक्ष सं0-7 में 14 विद्युत पोल			

विन्दु संख्या	विन्दु/मैनुअल का विवरण	नगर पंचायत की सूचना/विवरण	
4	प्रभाग/प्राधिकरण के क्रिया कलापों को सम्पादित करने हेतु निर्धारित प्राविधान	कक्ष सं0-8 में	35 विद्युत पोल
		कक्ष सं0-7 में	07 विद्युत पोल
		कक्ष सं0-10 में	12 विद्युत पोल
		कक्ष सं0-11 में	14 विद्युत पोल
		नगर में कुल बिरेकट संख्या	11
		कुल योग	175
		सफाई व्यवस्था:-	
		निकाय में 11 वार्ड है जिसमें सफाई व्यवस्था हेतु 11 नियमित तथा 11 संविदा सफाई कर्मचारियों से सफाई करवाकर कूड़े कचड़े का निस्तारण किया जाता है। कूड़ा निस्तारण के लिये केवल 11 हाथ कूड़ा गाड़िया तथा अन्य फौड़ी फौवड़ा तसले आदि सफाई उपकरण उपलब्ध है।	1. प्रत्येक वार्ड के नियमित सफाई करवाने की व्यवस्था है। कूड़ा उठाने के उपकरण/संसाधन कम होने के कारण कूड़े का निस्तारण नियमित रूप से नहीं हो पाता है। शिकायत प्राप्त होने के दिन ही सफाई करवाकर कूड़े का निस्तारण करवा दिया जाता है।
			2. नियमित कूड़े के निस्तारण के लिये एक
		जन्म मृत्यु पंजीयन :-	
जन्म मृत्यु की सूचना समय पर प्राप्त होने पर पंजीयन करके प्रमाण पत्र जारी किये जाते हैं।	1. जन्म मृत्यु की घटना के घटित होने के 21 दिन के अन्दर सूचना देने अथवा प्राप्त होने के जाँच कराकर पंजीयन निःशुल्क किया जाता है।		
	2. 21दिन के बाद तथा 30दिन के भीतर		
	3. 30दिन के बाद तथा एक वर्ष के अन्दर		
	4. एक वर्ष के पश्चात जन्म मृत्यु की घटना		
4	प्रभाग/प्राधिकरण के क्रिया कलापों को सम्पादित करने हेतु निर्धारित प्राविधान	जलमूल्य :-	
		निकाय में कुल 473 घरेलू जल कनेक्शन है। जिनसे कन्ज्यूजनों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जाती है।	शासनादेश के अनुसार नगर पंचायत सौरिख में 30 रूपया प्रति जल सम्बन्ध प्रति माह की दर से जल मूल्य बसूल किया जाता है।
		गृहकर निर्धारण :-	
		निकाय में गृह कर निर्धारण नियमावली	